न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 19/2019 निर्णय दिनांक – 04.04.2019

मोहन पिता नारायण जाति बलाई आयु 60 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 । – प्रार्थी

//बनाम//

1. जगदीश पिता शंकरलाल जी जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. प्यारचंद पिता लेहरू जी जाति बलाई उम्र 60 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. तुलसीराम पिता मोहनलाल जी जाति बलाई उम्र 40 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. छगनलाल पिता रतनलाल माली उम्र 65 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. रतनलाल पिता हरलाल जाट उम्र 40 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. शिवलाल पिता भुरालाल गायरी उम्र 50 साल निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 । – विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लसडावन तह0 निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 413 के आराजी नं0 2894/1819 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नं. 2895/1822 रकबा 0.08 हैक्टेयर व आराजी नं. 2896/1825 रकबा 0.31 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2233 रकबा 1.39 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लसडावन तह0 निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 413 के आराजी नं0 2894/1819 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी नं. 2895/1822 रकबा 0.08 हैक्टेयर व आराजी नं. 2896/1825 रकबा 0.31 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2233 रकबा 1.39 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official